न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं0–02 मुजफ्फरनगर।

बेल नं0–965/2025

04.02.2025

प्रार्थी/अभियुक्त विपिन पुत्र रामेश्वर सिंह एन.आर.सी.–45/2014 अन्तर्गत धारा – 352, 504, 506 भा.दं.सं. थाना तितावी जिला मुजफ्फरनगर द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं । अभियुक्त जेल में है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा है कि प्रार्थी को पार्टीबाजी के आधार पर झूठा फंसाया गया था। अभियुक्त मजदूरी करने पंजाब चला गया था जिस कारण हाजिर अदालत नहीं आ सका। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जमानत की याचना की गई है।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

सुना व प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त द्वारा एन.बी.डब्लू. के निष्पादन पर न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया था तथा न्यायालय द्वारा उसका धारा 309 दं०प्र०सं० का वारन्ट बनाकर जिला कारागार भेजा गया। अभियुक्त दिनांक 03.02.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त है। जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः अभियुक्त को 25,000/–रू० का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी धनराशि के दो जमानत प्रतिभू दाखिल करने पर इस शर्त पर रिहा किया जाता है कि वह न्यायालय में नियत दिनांक पर हाजिर अदालत आता रहेगा।

(डा० सत्येन्द्र कुमार चौधरी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट सं० 0 २, मुजफ्फरनगर।